परिशिष्ट 2.1 (संदर्भ: पैरा 2.2.5)

निर्धारण में त्रुटियों के राज्यवार मामले						
राज्य	**2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा के लिए चयनित इकाईयों में पूर्ण लिए गए निर्धारण।**	**2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा में जांचें गए निर्धारण**	**लेखापरीक्षा[105] आपत्तियां (सं)**	**त्रुटि सहित निर्धारण (सं.)**	**लेखापरीक्षा आपत्तियों का कुल राजस्व प्रभाव (₹ करोड़ में)**	**त्रुटि पूर्ण सहित निर्धारण का *प्रतिशत* (कॉल.5/कॉल. 3x100)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	25,620	22,160	1,598	1548	1,412.91	6.99
असम	3,618	3,540	290	275	47.31	7.77
बिहार	2,248	2,180	149	150	950.53	6.88
छत्तीसगढ़	6,724	3,747	258	253	96.49	6.75
दिल्ली	42,378	32,794	1,454	1,372	1,373.40	4.18
गोवा	1,222	1,193	120	120	81.88	10.06
गुजरात	16,291	15,923	1,214	1,049	2,146.06	6.59
हरियाणा	13,061	9,748	1,019	915	635.99	9.39
हिमाचलप्रदेश	1,710	1,212	122	117	49.77	9.65
केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख	843	597	40	39	0.44	6.53
झारखंड	3,799	2,370	141	117	47.84	4.94
कर्नाटक	12,737	12,342	1,142	1,071	6,380.78	8.68
केरल	11,080	10,770	744	725	251.16	6.73
मध्यप्रदेश	25,626	20,091	1,512	1,512	4,750.27	7.53
महाराष्ट्र	1,60,227	75,596	4,013	3,502	18,816.02	4.63
ओडिशा	4,680	4,404	528	496	477.39	11.26
पंजाब	12,845	7,474	677	510	199.57	6.82
राजस्थान	15,530	14,988	678	665	170.26	4.44
तमिलनाडु	23,843	20,466	2,061	1,899	2,373.66	9.28
यूटी चंडीगढ़	4,927	3,844	297	243	1,164.31	6.32
उत्तराखंड	916	911	37	35	65.09	3.84
उत्तरप्रदेश	26,617	26,257	946	884	1,127.25	3.37
पश्चिम बंगाल	42,078	39,632	2,493	2,271	2,313.85	5.73
कुल	**4,58,620**	**3,32,239**	**21,533**	**19,768**	**44,932.14**	**5.95**

[105] इसमें निगम कर, आयकर तथा अन्य प्रत्यक्ष कर के कम निर्धारणों और अधिक निर्धारणों की सभी लेखापरीक्षा आपत्तियां शामिल है।

परिशिष्ट 2.2 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.2.7)

स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए निगम कर एवं आयकर के संबंध में कम निर्धारण के श्रेणीवार विवरण

(₹ करोड़ में)

उप श्रेणी	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव
क. निर्धारणों की गुणवत्ता	**7,504**	**9,768.64**
क. आय तथा कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियां	1,663	2,963.66
ख. कर, अधिभार आदि की गलत दर का लगाना	695	218.51
ग. विवरणी प्रस्तुत करने में देरी, कर भुगतान में देरी आदि के लिए ब्याज/ शास्ति का अनुद्ग्रहण कम/ उद्ग्रहण	4,874	4,669.98
घ. अतिरिक्त या अनियमित प्रतिदाय/ प्रतिदाय पर ब्याज	120	319..08
ङ. अपीलीय आदेश को प्रभाव देते समय निर्धारण में त्रुटी	152	1,597.41
ख. कर रियायतों / छूटों/ कटौतीयों का प्रशासन	**6,407**	**18,533.62**
क. निगमों को दी गई अनियमित छूटें/ कटौती/ राहतें	287	1,244.86
ख. ट्रस्टों/ फर्मों/ सोसाइटियों को दी गई अनियमित छूट/ कटौती/राहतें	618	1,576.28
ग. व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूटें/ कटौती/ राहतें	465	156.24
घ. व्यवसायिक व्यय की गलत अनुमति	4,255	11,575.09
ङ. मूल्यह्रास / व्यापार हानि/ पूंजीगत हानि की अनुमति में अनियमितताऐं	745	3,064.33
च. डीटीएटी राहत की गलत अनुमति	37	916.82
ग. त्रुटियों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय	**2,536**	**6,939.74**
क. मेट/ टनेज कर आदि सहित विशेष प्रावधानों के तहत	250	498.74
ख. अस्पष्टीकृत निवेश/ नकद क्रेडिट आदि	582	1,160.10
ग. पूंजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और संगणना	666	240.70
घ. आर्म्स लेंथ प्राइस गलत अनुमान	306	291.06
ङ. पति या पत्नी,नाबालिग बच्चे आदि की आय को समेकित करने में त्रुटि	144	237.00
च. घर संपत्ति से मिलने वाली आय की गलत गणना	83	53.20
छ. वेतन आय की गलत गणना	65	104.67
ज. टीडीएस/ टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने में त्रुटि	440	4,354.27
घ. अन्य	**4,426**	**8,926.64**
कुल	**20,873**	**44,168.64**

परिशिष्ट 2.3 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.4.4)

मंत्रालय को भेजे गए ड्राफ्ट पैराग्राफ के संबंध में आपत्तियों का श्रेणीवार ब्यौरा		
उपश्रेणी	**मामले**	**कर प्रभाव (₹ करोड़ में)**
क. निर्धारणों की गुणवत्ता	**80**	**1,496.65**
क. आय तथा कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियां	27	97.94
ख. कर, अधिभार आदि की गलत दर लगाना	34	213.06
ग. विवरणी प्रस्तुत करने में देरी, कर भुगतान में देरी आदि के लिए ब्याज/ शास्ति का उद्ग्रहण न करना/ कम उद्ग्रहण करना	5	4.84
घ. अधिक या अनियमित प्रतिदाय/ प्रतिदाय पर ब्याज	6	1,114.40
ङ. अपीलीय आदेश कोप्रभाव देते समय निर्धारण में त्रुटी	8	66.41
ख. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन	**206**	**5,578.48**
क. निगमों को दी गई अनियमित छूटें/ कटौतियाँ/ राहतें	52	2,037.22
ख. ट्रस्टों / फर्मों/ सोसाइटियों को दी गई अनियमित छूटें/ कटौती/ राहतें	5	18.73
ग. व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूटें/ कटौती/ राहतें	1	0.26
घ. व्यवसायिक व्यय की गलत अनुमति	59	845.82
ङ. मूल्य ह्रास/व्यापार हानि/ पूंजीगत हानि की अनुमति में अनियमितताऐं	89	2,676.45
ग. त्रुटियों के कारण निर्धारणों से छूटने वाली आय	**94**	**1,069.68**
क. मेट/टनेज़ कर आदि सहित विशेष प्रावधानों के तहत	24	449.12
ख. पूंजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और संगणना	11	15.97
ग. आय की गलत गणना	35	253.11
घ. टीडीएस/ टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने में चूक	8	48.49
ङ. अस्पष्टीकृत निवेश/ नकद क्रेडिट	3	12.18
च. आर्म्स लेंथ प्राइसका गलत आकलन	13	290.81
घ. अन्य	**13**	**235.98**
कर/ब्याज का अधिक प्रभार	13	235.98
कुल	**393**	**8,380.79**

परिशिष्ट 2.4 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.7.2)

वि.व 2018-19 में उपचारात्मक कार्रवाही हेतु समयवर्जित होने वाले मामले		
राज्य	**लेखापरीक्षा आपत्तियाँ जहां उपचारात्मक कार्रवाही समयवर्जित हो गयी**	
	मामले	**कर प्रभाव (₹ करोड़ में)**
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	0	0
असम	0	0
बिहार	104	18.88
छत्तीसगढ़	19	140.06
दिल्ली	0	0
गोवा	7	0.61
गुजरात	181	110.94
हरियाणा	173	68.17
हिमाचल प्रदेश	28	2.32
केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर; तथा लद्दाख	18	4.12
झारखंड	16	14.12
कर्नाटक	9	2.41
केरल	15	12.98
मध्यप्रदेश	49	25.13
महाराष्ट्र	265	364.79
ओड़िशा	144	646.81
पंजाब	57	2.55
राजस्थान	21	2.23
तमिलनाडु	314	213.17
यूटी चंडीगढ़	15	0.95
उत्तराखंड	0	0
उत्तर प्रदेश	50	18.71
पश्चिम बंगाल	476	588.09
कुल	**1,961**	**2,237.04**

परिशिष्ट 2.5 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.9.2)

वि.व 2016-17 से 2018-19 के दौरान अभिलेखों के गैर-प्रस्तुतीकरण के विवरण					
राज्य	**वि.व 2018-19 के दौरान मांगे गए अभिलेख**	**वि.व 2018-19 के दौरान प्रस्तुत नही किए गए अभिलेख**	**वि.व 2018-19 के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों का *प्रतिशत***	**वि.व 2017-18 के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों का *प्रतिशत***	**वि.व 2016-17 के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों का *प्रतिशत***
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	21,087	1,065	5.05	5.26	5.10
असम	3,618	78	2.16	0.59	0.03
बिहार	2,376	120	5.05	6.81	8.26
छत्तीसगढ़	3,747	0	0.00	0.30	1.12
दिल्ली	39,722	3,702	9.32	21.45	18.60
गोवा	1,223	29	2.37	2.46	6.01
गुजरात	16,291	368	2.26	2.40	4.14
हरियाणा	10,008	68	0.68	4.77	0.86
हिमाचल प्रदेश	1,280	20	1.56	5.24	0.00
केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर; तथा लद्दाख	722	77	10.66	1.26	0.16
झारखंड	2,405	35	1.46	2.03	1.45
कर्नाटक	13,662	397	2.91	5.64	7.10
केरल	11,446	368	3.22	5.01	3.11
मध्यप्रदेश	22,410	840	3.75	11.67	13.85
महाराष्ट्र	89,283	4,335	4.86	8.59	6.80
ओड़िशा	4,940	296	5.99	6.94	9.44
पंजाब	7,793	183	2.35	5.08	0.12
राजस्थान	15,971	770	4.82	9.74	7.96
तमिलनाडु	22,337	2,750	12.31	11.38	16.18
यूटी चंडीगढ़	3,968	44	1.11	0.06	3.01
उत्तराखंड	916	5	0.55	1.56	0.63
उत्तरप्रदेश	26,808	429	1.60	1.67	3.47
पश्चिम बंगाल	39,417	2,013	5.11	6.49	7.43
कुल	**3,61,430**	**17,992**	**4.98**	**8.27**	**8.29**

परिशिष्ट 5.1

कानूनी प्रावधान

(संदर्भ पैरा 5.4 देखें)

अधिनियम की धाराएं 234ए, 234बी एवं 234सी के तहत ब्याज और 244ए के तहत प्रतिदाय पर ब्याज से संबंधित कानूनी प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

अधिनियम की धारा	अधिनियम मे निर्धारित प्रावधान
234ए(1)	अधनियम की धारा 234ए निर्दिष्ट दरों पर और निर्दिष्ट समय अवधि के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने में चूक के कारण ब्याज के उदग्रहण हेतु प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार, जहां धारा 139 की उप-धारा (1) या उप-धारा (4) के तहत किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी अथवा, धारा 142 की उप-धारा (1) के तहत नोटिस के उत्तर में, नियत तिथि के बाद प्रस्तुत करता है या प्रस्तुत नहीं करता, निर्धारिती प्रत्येक महीने या नियत तिथि के तुरंत बाद की तिथि से आरंभ होने वाली अवधि में शामिल महीने के हिस्से के लिए एक *प्रतिशत* की दर पर साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, और या,जहां कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है, धारा 143(1) के तहत निर्धारित कुल आय पर कर की राशि पर धारा 144 के तहत निर्धारण पूरा होने की तिथि पर समाप्त होता है और जहां अग्रिम कर, टीडीएस/टीसीएस की राशि से कटौती करके, धारा 90, 90ए और 91 के तहत कर की राहत स्वीकृति के द्वारा और धारा 115 जेएए या 115जेडी के तहत उपलब्ध कर क्रेडिट के द्वारा कटौती करके नियमित निर्धारण के तहत निर्धारित कुल आय पर कर की राशि पर नियमित निर्धारण किया गया है।
234ए(3)	आयकर अधिनियम,1961 की धारा 234ए(3) यह प्रावधान करती है, जहां किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी, आय या धारा 143 की उप-धारा (1) के तहत आय के निर्धारण के बाद धारा 148 के तहत या 153ए के तहत या धारा 143 की उप-धारा(3) के तहत निर्धारण पूर्ण होने के बाद नोटिस के तहत आपेक्षित है, जो इस प्रकार के नोटिस के तहत स्वीकृत समय की समाप्ति के बाद प्रस्तुत किया जाता है, तो निर्धारिती प्रत्येक माह या स्वीकृत समय की समाप्ति के तुरंत बाद के प्रथम दिन से प्रारंभ होने वाली अवधि में शामिल माह के हिस्सें के लिए एक *प्रतिशत* की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और उस राशि पर धारा 153ए के तहत पुर्ननिर्धारण की पूर्णता की तिथि पर समाप्त होता है जिसके द्वारा इस प्रकार के पुर्न-निर्धारण या पुन: संगणना

	के आधार पर नियत कुल आय पर कर धारा 143(1) के तहत नियत कुल आय पर या पुर्न निर्धारण के आधार पर कर से अधिक हो।
स्पष्टीकरण 3 के साथ पठित 234ए(1)	*उप-धारा 1 के तहत स्पष्टीकरण 3 में यह प्रावधान है कि जहां, निर्धारण वर्ष के संबंध में, धारा 147 या 153ए के तहत प्रथम बार निर्धारण किया जाता है, तो किया गया निर्धारण इस धारा के उद्देश्य के लिए एक नियमित निर्धारण माना जाएगा।*
234बी(1)	अधिनियम की धारा 234बी निर्दिष्ट दरों पर और निर्दिष्ट समयावधि के लिए अग्रिम कर के भुगतान में चूक के कारण ब्याज के उदग्रहण के लिए प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार, जहां किसी भी वित्तीय वर्ष में,एक निर्धारिती जो अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसे कर का भुगतान करने में विफल होता है या, जहां निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया अग्रिम कर निर्धारित किए गए कर का नब्बे *प्रतिशत* से कम है, तो निर्धारित, नियमित निर्धारण के तहत नियत कुल आय के निर्धारित की तिथि तक इस प्रकार के वित्तीय वर्ष के बाद आगामी अप्रैल के प्रथम दिन से प्रत्येक माह या इस समयावधि में शामिल माह के हिस्से के लिए एक *प्रतिशत* की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, निर्धारित किए गए कर की राशि के बराबर या, जैसा भी मामला हो, उस राशि पर जिसके द्वारा पूर्वोक्त भुगतान किया गया अग्रिम कर निर्धारित कर से कम हो जाता है।
234बी(3)	आयकर अधिनियम,1961 की धारा 234बी(3) में यह प्रावधान है कि, जहां धारा 147 या 153ए के तहत पुर्न-निर्धारण के आदेश के परिणामस्वरूप, उप-धारा(1) के तहत किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए अग्रिम कर के भुगतान में कमी के संबंध में उस राशि पर जिस पर ब्याज देय था उसमें वृद्धि हुई है निर्धारिती ऐसे वित्तीय वर्ष के बाद आगामी अप्रैल के प्रथम दिन से प्रारंभ होने वाली अवधि के लिए प्रत्येक माह या माह के हिस्से के लिए एक *प्रतिशत* की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और धारा 147 अथवा 153ए के तहत (जैसा भी मामला हो) पुर्न-निर्धारण की तिथि की समाप्ति पर उस राशि जिस पर उनके द्वारा पुर्न-निर्धारण के आधार पर निर्धारित कुल आय पर कर नियमित निर्धारण के तहत नियत कुल आय पर कर अधिक होता है।
स्पष्टीकरण 2 के साथ पठित 234बी(1)	उप-धारा 1 के तहत स्पष्टीकरण 2 प्रावधान करता है कि जहां, निर्धारण वर्ष के संबंध में प्रथम बार धारा 153ए के तहत निर्धारण किया जाता है, तो किया गया निर्धारण इस धारा के उद्देश्य के लिए एक नियमित निर्धारण माना जाएगा।

234सी	अधिनियम की धारा 234सी में निर्दिष्ट दरों पर और निर्दिष्ट समयावधि के लिए अग्रिम कर की किश्तों के भुगतान में चूक के कारण ब्याज के उदग्रहण हेतु प्रावधान है। धारा के अनुसार,जहां किसी भी वित्तीय वर्ष में, निर्धारिती जो अधिनियम की धारा 208 के तहत अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है,ऐसे कर का भुगतान करने में विफल रहा है या, जहां ऐसे निर्धारिती द्वारा भुगतान किए गए अग्रिम कर की किस्त निर्दिष्ट महीनों के लिए नियत *प्रतिशत* से कम है, तो कंपनी, कमी की राशि पर तीन महीने के लिए एक *प्रतिशत* की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी।
धारा 244ए के तहत प्रतिदायों पर ब्याज	अधिनियम की धारा 244ए अग्रिम कर, स्रोत पर कर कटोती (टीडीएस) या स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) निर्दिष्ट दरों पर और निर्दिष्ट समयावधि के लिए अति भुगतान के कारण सृजित प्रतिदाय पर ब्याज के भुगतान के लिए प्रावधान करती है, जहां इस अधिनियम के तहत प्रतिदाय की कोई भी राशि निर्धारिती पर देय हो जाती है, तो वह इस धारा के प्रावधानों के अधीन होगा, वह उक्त राशि के अतिरिक्त प्राप्त करने का हकदार होगा, उस पर साधारण ब्याज की संगणना निम्नलिखित प्रकार से की जाएगी: (i) जहां प्रतिदाय अग्रिम कर के माध्यम से भुगतान किए गए किसी भी कर के बाहर है या धारा 199 के तहत भुगतान किया गया माना गया है, निर्धारण वर्ष के तुरंत बाद वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारण वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन से वह तिथि जिस पर प्रतिदाय की अनुमति दी गई है उस अवधि में समाहित प्रत्येक माह या माह के हिस्से के लिए डेढ़ *प्रतिशत* की दर से इस प्रकार के ब्याज की संगणना की जाएगी। बशर्ते कि कोई भी ब्याज देय नहीं होगा, यदि प्रतिदाय की राशि नियमित निर्धारण पर नियत कर के 10 *प्रतिशत* से कम है। (ii) किसी अन्य मामले में, इस प्रकार के ब्याज की संगणना प्रत्येक माह अथवा अवधि या तिथि से अवधि में शामिल माह के हिस्से के लिए डेढ़ *प्रतिशत* की दर की जाएगी, जैसा भी मामला हो, कर के भुगतान की तिथियां या जुर्माना उस तिथि को हो सकता है जिस पर प्रतिदाय की अनुमति दी गई है।

परिशिष्ट 5.2
राज्य-वार चयनित नमूने[106]
(संदर्भ: पैराग्राफ 5.6)

राज्य/क्षेत्र	वि.व 2016-17 (मामलों की संख्या)	वि.व 2017-18 (मामलों की संख्या)	वि.व 2018-19 (मामलों की संख्या)	कुल (मामलों की संख्या)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	226	92	17	335
बिहार	41	20	18	79
दिल्ली	518	224	79	821
गुजरात	219	142	59	420
कर्नाटक	470	285	108	863
केरल	182	92	30	304
महाराष्ट्र	804	572	41	1417
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	110	54	55	219
एनईआर[107]	119	33	4	156
ओडिशा	16	19	10	45
एनडब्ल्यूआर[108]	238	281	33	552
राजस्थान	108	117	17	242
तमिलनाडु	497	440	21	958
उत्तर प्रदेश	103	81	4	188
पश्चिम बंगाल	263	178		441
कुल	**3,914**	**2630**	**496**	**7,040**

[106] वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए एटीएस के माध्यम से संसाधित/ पूर्ण किए गए मामलों का चयन किया गया था। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, आईटीबीए के माध्यम से संसाधित/पूर्ण किए गए मामलों का चयन किया गया।

[107] उत्तर-पूर्वी क्षेत्र

[108] उत्तर-पश्चिम क्षेत्र (पंजाब, हरियाणा, यूटी 'चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं)

संकेताक्षर

एसीआईटी	सहायक आयकर आयुक्त
एक्ट	आयकर अधिनियम, 1961
एएलपी	आर्म्स लेंथ कीमत
एओ	निर्धारण अधिकारी
एओपी	व्यक्तियों का समूह
एएसटी	एसेसमेंट इन्फोमेशन सिस्टम
एवाई	निर्धारण वर्ष
सीएएसएस	कम्प्यूटर ऍडिड स्क्रूटनी सिलेक्शन
सीबीडीटी	केंद्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड
सीसीआईटी	मुख्य आयकर आयुक्त
सीआईटी	आयकर आयुक्त
सीआईटी(ए)	आयकर आयुक्त (अपील)
सीपीसी	केन्द्रीकृत प्रसंस्करण केन्द्र
सीपीजीआरएएमएस	केन्द्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण तथा मॉनीटरिंग प्रणाली
सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय
सीटी	निगम कर
सीवीसी	केन्द्रीय सतर्कता आयोग
डीजीआईटी (सिस्टम)	आयकर महानिदेशक (सिस्टम)
डीओआर	राजस्व विभाग
डीएसआईआर	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
डीटी	प्रत्यक्षकर
एफआईआर	प्रथम सूचना रिपोर्ट
एफवाई	वित्तीय वर्ष
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीटीआर	सकल कर प्राप्तियां
आईआरएलए	व्यक्तिगत चालू लेज़र खाता
आईटी	आयकर
आईटीएटी	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण
आईटीबीए	इन्कम टैक्स बिजन्स एप्लीकेशन
आईटीडी	आयकर विभाग
आईटीओ	आयकर अधिकारी
आईटीआर/रिटर्न	आयकर विवरणी
जेसीआईटी	संयुक्त आयकर आयुक्त
एलटीसीजी	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ
एलटीसीएल	दीर्घकालिक पूंजीगत हानि
पीएसी	सार्वजनिक लेखा समिति
पीएएन	स्थायी खाता संख्या
प्र. सीसीए.	प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक

प्र. सीसीआई.टी	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त
एमएटी	न्यूनतम वैकल्पिक कर
एमओपी	कार्यालय प्रक्रिया मेनुअल
एनएमएस	नॉन-फाइलर्स निगरानी प्रणाली
आरओसी	कंपनी पंजीयक
रूल्स	आयकर नियम, 1962
टीसीएस	स्रोत पर संग्रहित कर
टीडीएस	स्रोत पर कर की कटौती
टीपी	स्थानांतरण मूल्य
टीपीओ	स्थानांतरण निर्धारण अधिकारी